

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : एफ.1(4)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2012


जयपुर, दिनांक : 26.08.2019

आदेश

राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम-1966 के नियम-24 के अन्तर्गत जनसम्पर्क सेवा के उप निदेशक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति (पे मेट्रिक्स लेवल 17 में) संयुक्त निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नियमित चयन के पश्चात् उनके नाम के सामने अंकित रिक्ति वर्ष के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा की जाती है :-

क्र.सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	रिक्ति वर्ष	रिक्ति तिथि
1.	श्री शिवचन्द मीणा	मुख्यालय, जयपुर	2018-19	01.04.2018

उक्त अधिकारी को नियमानुसार पदोन्नति पद के परिलाभ इनके नाम के सामने अंकित रिक्ति वर्ष/रिक्ति दिनांक से तथा नगद लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद पर अग्रिम आदेश होने तक यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग को देना सुनिश्चित करेंगे।


शासन सचिव

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा.मंत्री, सूजस महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूजस।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/सूजस) मुख्यालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक(समाचार/क्षे.प्र./पंजीयन/विज्ञापन) मुख्यालय, जयपुर।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।
9. सहायक निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
10. संबंधित पदाधिकारी।
11. निजी संचायिका।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव